# भुगतान विज़न 2028

## भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
## भारतीय रिजर्व बैंक
## केंद्रीय कार्यालय

31 दिसंबर 2028 तक

# सूचकांक


| विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| प्रस्तावना | 3 |
| अनुभाग 1: पिछले वर्षों में भुगतान विज़न दस्तावेज | 5 |
| अनुभाग 2: भुगतान विज़न 2028 | 9 |
| अनुभाग 3: विशिष्ट पहल | 12 |
| संक्षिप्त नाम | 21 |

## प्रस्तावना

भारत का भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र एक संतुलित लेकिन अनुकूलनशील प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2001 से जारी किए गए क्रमागत भुगतान विज़न दस्तावेजों द्वारा मार्गदर्शित किया गया है। प्रत्येक विज़न दस्तावेज ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य के विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान चरण के अनुरूप दिशा प्रदान की है। मूल निपटान बुनियादी ढांचे की स्थापना, संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, डिजिटल समावेशन का विस्तार करना और व्यापक स्तर पर नवाचार को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करके, क्रमागत विजन दस्तावेजों ने भारत के डिजिटल और रियल-टाइम भुगतानों में वैश्विक नेतृत्व के उदय का मार्ग प्रशस्त किया है, साथ ही मूल मूल्यों जैसे 'ग्राहक-केंद्रितता', 'डिज़ाइन द्वारा सुरक्षा' और 'अंतरसंचालनीयता' को बनाए रखा है।

भुगतान विज़न 2028 यह मानता है कि डिजिटल भुगतान सभी जनसंख्या खंडों में अपनी जगह बना रहे हैं (जो आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से जाहीर किया गया है), और अब पारिस्थितिकी तंत्र के सामने चुनौती केवल भुगतान प्रणाली की पहुंच के विस्तार की नहीं, बल्कि भुगतान प्रणालियों में 'विश्वास' को गहरा करने, आघात सहनीयता को मजबूत बनाने और उनके वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने की है। विषय, ***भारत के भुगतान सीमांत को आकार देना"*** पर आधारित, यह विज़न दस्तावेज उपयोगकर्ता सशक्तिकरण, धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय भुगतान ढांचे की दक्षता और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण , जो की जोखिम-आधारित है, को नवाचार और समावेशन की आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शित किया जाएगा।

भुगतान विजन - भुगतान के लिए एआई-संचालित, डेटा-संचालित दृष्टिकोण की ओर निर्देशित करने की योजना बनाता है। आरबीआई के लिए, डेटा, अनुसंधान और संस्थागत क्षमता को सूचित-निर्णय लेने के लिए रणनीतिक संपत्ति के रूप में माना जाता है। विश्लेषणात्मक क्षमताओं को मज़बूत करना और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गहरा करना भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए ज़रूरी माना गया है।

अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से, विज़न दस्तावेज दिसंबर 2028 तक कार्यवाही का मार्ग निर्धारित करता है, साथ ही तकनीकी परिवर्तन, उभरते जोखिमों और बदलती उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के लिए सहनीयता बनाए रखता है। यह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति रिजर्व बैंक के लगातार प्रतिक्रियाशील और भविष्य-निर्देशित देखरेख के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि विज़न में सूचीबद्ध वस्तुओं के अलावा भी, देश में डिजिटल भुगतानों के निरंतर संवृध्दि और विकास के लिए महत्वपूर्ण कोई भी अन्य पहल अपनाई जाएगी।

भुगतान विज़न 2028 एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई है। इसकी वास्तविकता भी सभी हितधारकों - बैंकों, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों, फिनटेक और ग्राहकों के बीच लगातार और निर्माणात्मक सहयोग पर निर्भर करेगी। साझा जिम्मेदारी और सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित, विज़न सुनिश्चित करेगा कि हमारी भुगतान प्रणालियां आगे के वर्षों में अघात सहनीय , समावेशी, नवाचारकारी और वैश्विक रूप से प्रशंसित बनी रहें।

# 1. पिछले वर्षों में भुगतान विज़न दस्तावेज

1.1 आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों की दक्षता, सुरक्षा और पहुंच को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जिससे एक अधिक समावेशी और आघात सहनीय डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिला है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप, भारत ने लगभग 50 प्रतिशत सभी वैश्विक रियल-टाइम भुगतानों को संसाधित करके वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को मजबूत किया है। आरबीआई की भूमिका भुगतान क्षेत्र के नियामक से आगे बढ़कर भुगतान में नवाचार को सक्षम बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में विकसित हुई है।

1.2 वर्ष 2001 से, आरबीआई ने भारत के भुगतान और निपटान पारिस्थितिकी तंत्र के रूपांतरण को मार्गदर्शन करने वाले भुगतान विज़न दस्तावेजों को अभिव्यक्त किया है। ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ ने अपने समय की तकनीकी परिपक्वता का लाभ उठाते हुए, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतर विकसित हो रही आवश्यकताओं, बुनियादी सुधारों से लेकर वैश्विक इंटरऑपरेबिलिटी तक, को सर्वोत्तम ढंग से संबोधित करने का प्रयास किया है। पहले विज़न दस्तावेज़ (2001-2004) से अब तक के मुख्य केंद्रीय क्षेत्र और परिणाम निम्नलिखित हैं:

### i. आधारभूत चरण (भुगतान विज़न 2001-2004)

दस्तावेज ने एक आधुनिक, तकनीक-संचालित भुगतान बुनियादी ढांचे की नींव रखी। उस समय, भारत के भुगतान मुख्य रूप से कागज के उपकरणों पर आधारित थे, जिनमें से चेक प्रमुख थे। दस्तावेज ने संगठन, दक्षता और सुरक्षा पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मोड और केंद्रीकृत निपटान की ओर बदलाव करना था। महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में 2004 में रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली का शुभारंभ, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग

सर्विसेज (ईसीएस) का विस्तार, और चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का प्रारंभिक विकास शामिल था।

### ii. संस्थागत और विनियामक चरण (भुगतान विज़न 2005-2008)

2005-2008 विज़न दस्तावेज ने तेजी से विकसित हो रहे भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए संस्थागत और कानूनी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। इसके परिणामस्वरूप 2005 में आरबीआई के भीतर भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) की स्थापना हुई, जिससे समर्पित विनियामक और विकासात्मक ध्यान देना संभव हुआ। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और पीएसएस विनियम, 2008 के लक्ष्य ने आरबीआई को सभी भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षित करने के लिए सांविधानिक अधिकार प्रदान किया। इस दस्तावेज ने खुदरा भुगतानों के लिए एक संगठन की कल्पना की, जिसके परिणामस्वरूप 2008 में राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की स्थापना हुई।

### iii. पर्यवेक्षण और विस्तार चरण (भुगतान विज़न 2009-2012)

भुगतान विज़न दस्तावेज 2009-2012 ने संचालन दक्षता, सुरक्षा और समावेशन की ओर ध्यान दिया। इसने सुरक्षित, दक्ष, अधिकृत और सुलभ प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया, जो घरेलू पर्यवेक्षण को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करता है। इस चरण के दौरान, एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों का विस्तार किया गया, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों को बढ़ावा मिला, और आरबीआई ने वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे (एफएमआई) पर अपनी पर्यवेक्षण भूमिका को मजबूत किया।

### iv. समावेशन और मानकीकरण चरण (भुगतान विज़न 2012-2015)

भुगतान विज़न 2012-2015 ने *कम-नकद समाज* की ओर बढ़ने का एक स्पष्ट लक्ष्य पेश किया, जिसमें अंतर-संचालनशीलता, समावेशन और उपभोक्ता सुरक्षा पर जोर दिया गया। उल्लेखनीय परिणामों में प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) का लाइसेंसिंग और विस्तार, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) की तैयारी, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), और आधार सक्षम भुगतान प्रणालियों (एईपीएस) को गति शामिल थे।

### v. डिजिटल रूपांतरण चरण (भुगतान विज़न 2016-2018)

भुगतान विज़न 2018 (2016-2018 को कवर करते हुए) भारत के डिजिटल भुगतानों मे हुई तीव्रता के साथ मेल खाता है। इसका ध्यान सभी समाज के वर्गों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षा और लचीलापन बनाए रखने पर था। इस अवधि में एनपीसीआई के नेतृत्व में एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)**,** जैसे रूपांतरक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ।

### vi. मापने योग्य परिणाम चरण (भुगतान विज़न 2019-2021)

भुगतान विज़न 2019-2021 ने "एम्पावरिंग एक्सेप्शनल (ई)-पेमेंट एक्सपीरियंस" विषय के तहत परिणाम-उन्मुख ढांचे का परिचय दिया। इसने पांच मुख्य विशेषताएं - सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा, गति और आर्थिकता, और 2021 तक डिजिटल लेनदेन में चार गुना वृद्धि का लक्ष्य स्थापित किया।

## vii. वैश्वीकरण और विश्वास चरण (भुगतान विज़न 2025)

2022 में लॉन्च किया गया भुगतान विज़न 2025, एक आत्मविश्वासी, वैश्विक रूप से एकीकृत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिबिंबित करता है। "ई-भुगतान हर किसी के लिए, हर जगह, हर समय (4ई)" विषय पर आधारित, यह पांच लक्ष्य स्तंभों - अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थागतकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण पर टिका हुआ था। वैकल्पिक प्रमाणीकरण ढांचा, भुगतान संग्रहकों पर मास्टर निर्देश, लगभग रियल-टाइम चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आदि इसके मुख्य परिणाम थे।

1.3 वर्षों के साथ जारी किए गए आरबीआई के भुगतान विज़न दस्तावेज इस प्रकार बुनियादी ढांचे के निर्माण से संस्थागतकरण तक एक रूपांतरक यात्रा का वर्णन करते हैं। प्रत्येक विज़न, पारिस्थितिकी तंत्र-स्तर के समायोजनों के साथ विकसित हुआ। इस गतिशील और अनुकूलनशील विकास ने भारत की भुगतान प्रणालियों को दुनिया में सबसे अधिक उन्नत, समावेशी और आघात सहनीय बना दिया है, जो की विज़न दस्तावेज 2028 के लिए मंच तैयार करता है – यह विजन दस्तावेज़ प्राप्त लाभों को एकीकृत करता है और भारतीय भुगतान तंत्र को भविष्य में कदम रखने में मदद करता है।

## 2. भुगतान विज़न 2028

2.1 भुगतान विज़न 2028 भारत में डिजिटल भुगतानों की अद्भुत प्रगति पर बना है, जिसका मुख्य विषय है - '***भारत के भुगतान सीमांत को आकार देना***' **।** यह मौजूदा प्रणालियों / बुनियादी ढांचे को एकीकृत और मजबूत करने की दोहरी आवश्यकता पर जोर देता है, साथ ही भुगतान के भविष्य को नेतृत्व देता है।

2.2 मुख्य विषय के तहत, निम्नलिखित विशिष्ट पहलों की पहचान की गई है, जो परिचालन उत्कृष्टता, रणनीतिक नवाचार और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि भुगतान बुनियादी ढांचा आघात सहनीयता, समावेशी, उपयोगकर्ता-अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत बना रहे।

क. **समावेशन और आघात सहनीयता** को बढ़ावा देने के लिए, टीआरईडीएस में अंतर-संचालनशीलता के लिए एक ढांचा विकसित किया जाना है जो एक एकीकृत, दक्ष और सुलभ "प्राप्ति डिस्काउंटिंग पारिस्थितिकी" तंत्र को बढ़ावा देगा।

ख. डिजिटल भुगतानों में **सुरक्षा** को बढ़ावा देने के लिए, जारीकर्ता चैनलों के माध्यम से डिजिटल भुगतान मोड के लिए लेनदेन सक्षम या अक्षम करने का विकल्प खोजा जाएगा। ग्राहक के बैंक (जारीकर्ता) और लाभार्थी के बैंक दोनों के बीच साझा जिम्मेदारी ढांचा अपनाया जाएगा जो दोनों को जिम्मेदार ठहराएगा। चेक के डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं की समीक्षा की जाएगी। गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए "साइबर जोखिम संकेतक" ढांचे का परिचय दिया जाएगा जो साइबर आघात सहनीयता को बढ़ावा देगा।

ग. **अंतरराष्ट्रीय भुगतान** के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय भुगतान ढांचे की समीक्षा की जाएगी जो दक्षता को बढ़ावा देगी, और जिसे विशिष्ट पहलुओं पर समर्पित रिपोर्ट प्रकाशित करके पूरक बनाया जाएगा।

घ. **व्यवसाय करने में आसानी और सुविधा** को बढ़ावा देने के लिए, पीएसएस अधिनियम, 2007 और फेमा, 1999 के तहत अंतरराष्ट्रीय भुगतान अनुमोदन के विनियामक प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा और एक स्थायी विनियामक सैंडबॉक्स के ढांचे के तहत छोटे भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को मान्यता देने के मामले की जांच की जाएगी। ग्राहकों को भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच बिना किसी रुकावट के भुगतान सेवा प्रदाता बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक भुगतान स्विचिंग सेवा (पीएएसएस) के कार्यान्वयन की जांच की जाएगी।

ङ. डिजिटल भुगतानों से संबंधित **अनुसंधान** को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रीय भुगतान डेटा तक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ, समर्पित अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

च. **प्रणालीगत स्थिरता और अखंडता** को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल भुगतानों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थानों को विनियामक दायरे में लाया जाएगा। एक युनिफ़ोर्म डोमेस्टिक लीगल एंटीटी आइडैनटिटिफ़ायर (डीएलईआई) को लाने पर  विचार किया जाएगा।

छ. कार्ड भुगतान क्षेत्र में **नवाचार** को प्रोत्साहित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चेक लाने पर विचार किया जाएगा।

2.3 वर्तमान भुगतान विज़न दस्तावेज दिसंबर 2028 तक का मार्ग निर्धारित करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि दस्तावेज रणनीतिक दिशा प्रदान करता है, उन पहलों को भी अपनाया जा सकता है जो उनमें शामिल नहीं हैं, जो बदलती आवश्यकताओं और अवसरों के आधार पर हैं।

# 3. विशिष्ट पहल

## 3.1 जारीकर्ता चैनलों के माध्यम से किसी भी डिजिटल भुगतान मोड पर लेनदेन सक्षम / अक्षम करने की भेजने वाले के लिए सुविधा

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्ड लेनदेन के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ सुविधा उपलब्ध है, जिसने ग्राहकों को अपने कार्डों पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद की है। सभी डिजिटल भुगतान मोड के लिए एक-समान सुविधा का लाने पर विचार किया जाएगा। यह सुविधा उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देगी और डिजिटल भुगतान लेनदेन में धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में योगदान देगी।

## 3.2 अंतरराष्ट्रीय भुगतान पर रिपोर्ट: देशी प्रवृत्तियां, वैश्विक विकास और भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रणनीतिक प्रभाव

आरबीआई अंतरराष्ट्रीय भुगतान पर रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जो भारत में अंतरराष्ट्रीय भुगतानों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जिसमें आयतन, लेनदेन लागत, पारदर्शिता, लेनदेन की गति, विभिन्न चैनलों और कॉरिडॉर के प्रदर्शन आदि जैसे मुख्य मापदंड शामिल होंगे। रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय भुगतानों से संबंधित कानूनी, विनियामक, तकनीकी और प्रक्रिया विकास से संबंधित वैश्विक विकासों का ट्रैक रखेगी। भारत की प्रगति को वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ बेंचमार्क करते हुए, रिपोर्ट विकास के क्षेत्रों की पहचान करेगी और घरेलू भुगतान प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय विकासों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

## 3.3 अंतरराष्ट्रीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय भुगतानों की दक्षता बढ़ाना है

अंतरराष्ट्रीय भुगतान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अनुप्रेषण (रेमिटेन्स) के लिए महत्वपूर्ण हैं। दक्ष अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियां भारतीय निर्यातकों और आयातकों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र, को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद करती हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्थाएं प्रेषण की लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंतरराष्ट्रीय भुगतान अपने प्रकृति से अधिक जटिल होते हैं क्योंकि वे कई प्रतिभागियों, क्षेत्रीय केंद्रो, समय क्षेत्रों, अधिकार क्षेत्रों और विनियमों में शामिल होते हैं। वैश्विक एजेंडा, जो G20 द्वारा आकार दिया गया है, इन भुगतानों को तेज, सस्ता, अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने का भी लक्ष्य रखता है। आरबीआई विनियामक उदारीकरण और तकनीकी पहलों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को सुधार रहा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को नियंत्रित करने वाले विनियमों का उदारीकरण दक्षता को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है, विनियमों को और अधिक सुगम और उदारीकृत किया जा सकता है। इस दृष्टि से, आरबीआई एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान ढांचे की कल्पना करेगा जो दक्ष, पारदर्शी, लचीला और एक विस्तृत श्रेणी के प्रतिभागियों के लिए सुलभ हो। इसके लिए, आरबीआई मौजूदा अंतरराष्ट्रीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की एक व्यापक समीक्षा करेगा जो विनियामक, परिचालन और तकनीकी दृष्टिकोण से घर्षण की पहचान करेगी। यह समीक्षा भारत के अंतरराष्ट्रीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, भारत को वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों और तकनीक के साथ संरेखित करने और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को समायोजित करने का प्रयास करेगी।

## 3.4 पीएसएस अधिनियम, 2007 और फेमा, 1999 के तहत अंतरराष्ट्रीय भुगतान अनुमोदन को सुगम बनाना

अंतरराष्ट्रीय रूप से धन के अंत-से-अंत स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, संस्थानों को भुगतान और निपटान प्रणालियों अधिनियम, 2007 के तहत अनुमोदन और विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत एक अधिकृत व्यक्ति (औथोराइस्ड डीलर) लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में दक्षता प्राप्त करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, एकल-विंडो आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की जांच की जाएगी। यह भारत के अंतरराष्ट्रीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में कार्य करने वाली संस्थानों हेतु व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाएगा, और अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में नए उपयोग-मामलों और नवाचार को बढ़ावा देगा।

## 3.5 ग्राहकों की जिम्मेदारी सीमित करना – साझा जिम्मेदारी ढांचा

मौजूदा भुगतान धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी सीमित करने वाला ढांचा केवल जारीकर्ता पर जिम्मेदारी और दायित्व रखता है। संतुलित जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एक साझा जिम्मेदारी ढांचा शुरू किया जाएगा जिसके तहत ग्राहक के बैंक (जारीकर्ता) और लाभार्थी के बैंक दोनों अनधिकृत डिजिटल भुगतान लेनदेन से उत्पन्न दायित्व को साझा करेंगे। यह दृष्टिकोण दोनों पक्षों को धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए रोबस्ट उपाय लागू करने और समय पर हस्तक्षेप के लिए समन्वय मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे डिजिटल भुगतानों में समग्र उपभोक्ता सुरक्षा और विश्वास में वृद्धि होगी।

## 3.6 छोटे भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को मान्यता देना – स्थायी नियामक सैंडबॉक्स

भुगतान क्षेत्र अत्यंत गतिशील है, इसलिए नवाचारकारी समाधानों को बिना उन्हें सीधे विनियमित किए शुरू करने की अनुमति देने की आवश्यकता है, और उन्हें केवल तभी विनियामक दायरे में लाया जाए जब वे एक निर्दिष्ट स्तर तक पहुंच जाएं और जब इन गतिविधियों को महत्वपूर्ण या क्रिटिकल माना जाए। इसलिए, छोटे भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (एसपीएसपीएस) के एक नए वर्ग को मान्यता देने के मामले की जांच की जाएगी जिन्हें अपनी गतिविधियां करने से पहले आरबीआई द्वारा अनुमोदित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ उद्देश्य जोखिम प्रोफाइल के आधार पर एक अनुकूलित विनियामक पर्यवेक्षण तंत्र की ओर धीरे-धीरे बदलाव करना है जो उन गतिविधियों की प्रकृति पर आधारित है जिन्हें उनके द्वारा संभाला जाता है। यह व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देगा और साथ ही प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

## 3.7 भुगतान अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षमता विकसित करना

जैसे-जैसे वैश्विक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र नए और उभरती तकनीकों के साथ तेजी से विकसित हो रहा है, डिजिटल भुगतानों के विभिन्न पहलुओं जैसे नीति निर्माण, जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी रोकथाम, अंतरराष्ट्रीय भुगतान, साइबर सुरक्षा आदि के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, विभिन्न केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय मानक सेटिंग निकायों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण से अन्य देशों, और राष्ट्रिय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संबंध विकसित करने की जांच की जाएगी जो ज्ञान साझा करने को सुविधाजनक बनाएगी।

## 3.8 ट्रेड्स में अंतर-संचालनशीलता और नवाचार के लिए ढांचा

वर्षों के साथ, ट्रेड्स – एमएसएमई के लिए तरलता चुनौतियों को संबोधित करने और विकास के अवसरों को अनलॉक करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है। लक्ष्यित सुधारों के माध्यम से परिचालन दक्षता में और अधिक सुधार की संभावना है। इस संबंध में, निम्नलिखित के लिए मामले की जांच की जाएगी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए एक अधिक एकीकृत, दक्ष और सुलभ प्राप्ति डिस्काउंटिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है:

i. दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, और प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्मों के बीच पूर्ण अंतर-संचालनशीलता लाना;
ii. रिकॉर्स के साथ फैक्टरिंग; और
iii. निर्यात एमएसएमई के लिए व्यापार प्राप्ति डिस्काउंटिंग।

## 3.9 गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए मुख्य साइबर जोखिम संकेतक (केआरआई) ढांचा

भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए जोखिम-आधारित आईटी पर्यवेक्षण के लिए एक संगत, डेटा-संचालित दृष्टिकोण को लागू करने के उद्देश्य से, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों (पीएसओ) के लिए मुख्य साइबर जोखिम संकेतक (की रिस्क इंडिकेटर, केआरआई) ढांचा विकसित और लागू किया जाएगा। यह ढांचा ऐसी संस्थाओं की साइबर सुरक्षा की दृढ़ता का मूल्यांकन और निरंतर निगरानी करेगा। यह आरबीआई को उद्योग भर में मुख्य जोखिम संकेतकों की पहचान और निगरानी करने, विभिन्न संस्थाओं की साइबर आघात सहनीयता की तुलना करने, समय के साथ उनकी सुरक्षा स्थिति का ट्रैक रखने और संभावित आईटी

और साइबर जोखिमों की पहचान और निगरानी के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

## 3.10 चेक के डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं की समीक्षा और इलेक्ट्रॉनिक चेक का परिचय

मौजूदा सीटीएस-2010 मानकों (जिन्हें 2010 में पेश किया गया था) के आधार पर, बैंकों ने स्वतंत्र रूप से स्वयं अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं को लागू किया है, जिससे प्रणाली भर में भिन्नताएं उत्पन्न हुई हैं। चेक के डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं की एक व्यापक समीक्षा की जाएगी जो एकरूपता को बढ़ावा देगी, धोखाधड़ी रोकथाम को मजबूत करेगी और उभरती प्रक्रियाओं के साथ संरेखित होगी। समीक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करेगी और उन्हें अपनाएगी, तथा उन्हें सभी चेक लिखतों पर लागू करेगी।

इसके अलावा, चेक के रूप में भुगतान लिखत कुछ अनूठे लाभ प्रदान करते हैं जो अन्य भुगतान विधियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कागज-आधारित लिखतों के अनूठे लाभों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की गति और विश्वसनीयता का लाभ उठाने और नए व्यावसायिक उपयोग-मामलों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक चेक लाने पर विचार किया जाएगा।

## 3.11 भुगतान डेटा तक बढ़ी हुई पहुंच सुविधाजनक बनाना

भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र हाल के वर्षों में बहुत विकसित हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप, भुगतान प्रणालियों की संख्या, भुगतान प्रणालियों के उपयोग-मामलों और भुगतान डेटा की जटिलता में भी काफी वृद्धि हुई है। एक समृद्ध, उपयोगकर्ता-अनुकूल

डेटाबेस का निर्माण करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चैनलों के माध्यम से इससे पूछताछ (कुएरी) करने की सुविधा प्रदान करने की जांच की जाएगी। यह एक एकल बिंदु के रूप में भी कार्य करेगा जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान डेटा के लिए एक एकीकृत और गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करेगा। यह पहल दक्षता परिणामों की निगरानी को सुविधाजनक बनाएगी, पारदर्शिता बढ़ाएगी और डेटा-संचालित नवाचार में सहायता करेगी।

## 3.12 भारत में कार्ड भुगतान की पुनर्कल्पना करना

प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और आघात सहनीयता को मजबूत करने के लिए, एक ओपन और अंतर-संचालनशील कार्ड पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कार्डधारकों और व्यापारियों को विकल्प प्रदान करने, सुरक्षित और स्मार्ट टोकनाइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन का परिचय देने, और पारदर्शी मूल्य निर्धारण को सुविधाजनक बनाना है, जो की ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

## 3.13 भुगतान स्विचिंग सेवा (पीएएसएस)

ग्राहकों को अपने खाते के नंबर बदलने पर अपने भुगतान निर्देशों को प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दूसरे बैंक में बदलना, बैंकों का विलय आदि। इसे संबोधित करने के लिए, 'भुगतान स्विचिंग सेवा' को लागू करने की संभावना की जांच की जाएगी। यह एक केंद्रीकृत सेवा के रूप में कल्पित की गई है जो एक खाते से दूसरे खाते में भुगतान निर्देशों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाएगी, जिससे ग्राहकों को अपने बैंक खातों को न्यूनतम घर्षण के साथ बदलने की अनुमति मिलेगी। इस कार्यक्षमता का उपयोग करके, ग्राहक अपने खातों से जुड़े सभी भुगतान प्रवाहों को देख सकेंगे और उचित अधिकृत के साथ पूर्ण या आंशिक स्विच शुरू कर सकेंगे।

यहाँ उद्देश्य ग्राहकों को अपने भुगतान निर्देशों पर केंद्रीकृत नियंत्रण प्रदान करना, बैंक विलय जैसे व्यवस्थागत परिवर्तनों के दौरान आदेशित संक्रमण सुविधाजनक बनाना और वित्तीय संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सेवा उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार होगा।

## 3.14 भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थानों को विनियामक दायरे में लाना

भुगतान क्षेत्र में हुए तेजी से विकास ने, कई संस्थानों को डिजिटल भुगतानों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में ले आया है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स बाजार और केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू कार्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली जिम्मेदारियां ले ली हैं। इन पहलुओं की विस्तृत जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो सीधे विनियमों के दायरे को ऐसी संस्थाओं को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। इसी तरह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) में व्हाइट लेबल समाधान लागू करने और ऐसे सहायक भुगतान प्रदाताओं को विनियामक दायरे में लाने के मामले की जांच की जाएगी।

## 3.15 एक युनिफ़ोर्म डोमेस्टिक लीगल एंटीटी आइडैनटिटिफ़ायर (डीएलईआई) लागू करना

गैर-व्यक्तियों के लिए एक अद्वितीय पहचान, जो लेनदेन के पक्षों की पहचान करे, वित्तीय प्रणाली में जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, एक समान घरेलू कानूनी संस्था पहचानकर्ता (एक युनिफ़ोर्म डोमेस्टिक लीगल एंटीटी आइडैनटिटिफ़ायर, डीएलईआई) लागू करने की संभावना का अध्ययन किया जाएगा। वर्तमान में, भारत में अनेक पहचानकर्ता मौजूद

हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य और विशेषताएं हैं। डीएलईआई, यदि संभव पाया जाता है, तो नया हो सकता है या मौजूदा पहचानकर्ताओं में से एक चुना जा सकता है।

# संक्षिप्त नाम

| | |
|---|---|
| एईपीएस | आधार सक्षम भुगतान प्रणाली |
| सीटीएस | चेक ट्रंकेशन प्रणाली |
| ईसीएस | इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं |
| केआरआई | मुख्य जोखिम संकेतक |
| एलईआई | कानूनी संस्था पहचानकर्ता |
| एमएसएमई | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| एनईएफटी | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर |
| पाएसएस | भुगतान स्विचिंग सेवा |
| पीपीआई | पूर्व-भुगतान यंत्र |
| पीएसओ | भुगतान प्रणाली परिचालक |
| आरटीजीएस | वास्तविक समय ग्रॉस निपटान |
| टीआरईडीएस | व्यापार अप्राप्यता डिस्काउंटिंग प्रणाली |